



पैकेज्ड मिनरल वाटर

चर्चा में क्यों?

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड पीने के पानी/खनिज जल को 'उच्च-जोखिम' खाद्य श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया है।
- इसके तहत केंद्रीय लाइसेंस धारकों को हर साल तृतीय-पक्ष खाद्य सुरक्षा ऑडिट कराना अनिवार्य होगा।





पैकेज्ड मिनरल वाटर

चर्चा में क्यों?

- यह आदेश 29 नवंबर 2024 से प्रभावी हो गया है और इसका उद्देश्य पैकेज्ड पानी के उत्पादन से जुड़ी संभावित स्वास्थ्य खतरों को कम करना है।
- FSSAI का यह कदम हाल ही में किए गए Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 के संशोधनों के बाद आया है, जिसमें कुछ खाद्य उत्पादों के लिए अनिवार्य BIS प्रमाणन आवश्यकताओं को हटाया गया था।



पैकेज्ड मिनरल वाटर

चर्चा में क्यों?

- इस पुनर्वर्गीकरण का उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करना और पैकेज्ड पानी उद्योग में कठोर गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखना है।
- आदेश के अनुसार, सभी केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को हर साल FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष खाद्य सुरक्षा ऑडिट एजेंसी से अपना व्यवसाय ऑडिट कराना होगा।



पैकेज्ड मिनरल वाटर

चर्चा में क्यों?

- उच्च जोखिम वाली खाद्य श्रेणियों में अब पैकेज्ड पीने का पानी और खनिज जल भी शामिल हैं।
- बिना अल्कोहल वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड पीने का पानी और खनिज जल से संबंधित खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों को अनिवार्य निरीक्षण का पालन करना होगा।



पैकेज्ड मिनरल वाटर

चर्चा में क्यों?

- उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों में पशु उत्पाद, विशेष पोषण उपयोग वाले खाद्य पदार्थ आदि शामिल हैं, जिन्हें हर साल नियमित निरीक्षण और ऑडिट से गुजरना होगा।
- इन खाद्य पदार्थों को संदूषण के उच्चतम जोखिम के कारण कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

- स्थापना: FSSAI भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। FSSAI की स्थापना 2006 में Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों को नियंत्रित और विनियमित करना है।
- FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।



भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

उद्देश्य:

- सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- खाद्य व्यवसायों के लिए वैज्ञानिक मानक तैयार करना।



भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

मुख्य कार्य:

- खाद्य पदार्थों के निर्माण, वितरण, भंडारण, बिक्री और आयात की निगरानी करना।
- खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (FBOs) को लाइसेंस और पंजीकरण प्रदान करना।
- खाद्य उत्पादों के लेबलिंग और विज्ञापन के लिए दिशा-निर्देश जारी करना।
- खाद्य पदार्थों में मिलावट और धोखाधड़ी की रोकथाम करना।
- खाद्य पदार्थों के नमूने लेना और उनकी गुणवत्ता की जांच करना।



भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

जागरूकता अभियान:

- उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना।
- Eat Right Movement और Jaivik Bharat जैसे अभियानों को बढ़ावा देना।



भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

अधिकार:

- खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना।
- खाद्य पदार्थों को बाजार से हटाने (recall) का आदेश देना।



भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

- BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसकी स्थापना BIS अधिनियम, 2016 के तहत की गई है।
- इसका उद्देश्य मानकीकरण, चिह्नांकन और गुणवत्ता प्रमाणन गतिविधियों का समन्वित विकास करना है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।



भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

प्रमुख योजनाएं:

उत्पाद प्रमाणन (ISI मार्क):
उत्पाद की गुणवत्ता और
सुरक्षा सुनिश्चित करने के
लिए।

सोने और चांदी के आभूषणों
की हॉलमार्किंग।

ईको मार्क योजना:
पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों
के लिए लेबलिंग।



बाघों की बढ़ती आबादी

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बाघों की बढ़ती आबादी की सराहना की।
- उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार के संरक्षण प्रयासों से बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि होगी।
- भारत ने हाल ही में 57वें बाघ अभयारण्य को अपनी सूची में जोड़ा है।
- नवीनतम शामिल बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व है।



भारत में 7 में से 5 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियां पाई जाती हैं - बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता।

- 1. रॉयल बंगाल टाइगर: 2018-19 की टाइगर जनगणना के अनुसार, भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2,967 हो गई है। भारत में दुनिया के लगभग 70% बाघों का निवास है।
- 2. एशियाई शेर: गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों की आखिरी शेष जनसंख्या पाई जाती है। 1960 के दशक में इनकी संख्या 200 से कम थी, जो 2020 की जनगणना में बढ़कर 674 हो गई है।



भारत में 7 में से 5 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियां पाई जाती हैं - बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता।

- 3. तेंदुआ (Leopard): भारत में अनुमानित 12,000-14,000 तेंदुए पाए जाते हैं। एशिया की सभी उप-प्रजातियों में भारत के तेंदुए सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता वाले हैं।
- 4. हिम तेंदुआ (Snow Leopard): हिम तेंदुआ मुख्यतः मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों का निवासी है। भारत में यह पश्चिमी हिमालय (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) और पूर्वी हिमालय (सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश) में पाया जाता है।



भारत में 7 में से 5 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियां पाई जाती हैं - बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता।

- 5. चीता (Cheetah): भारत में चीते 1952 में विलुप्त हो गए थे। सितंबर 2022 में, नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए। इन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश) में नवंबर 2022 में छोड़ा गया।



प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger)

- केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देना है।
- इसे पहली बार जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड) में लॉन्च किया गया।
- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जो बाघ वाले राज्यों को बाघ संरक्षण के लिए सहायता प्रदान करती है।



प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger)

- इसका मुख्य ध्यान बड़ी बिल्लियों (बिग कैट्स) के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा पर है।
- बाघ, जो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हैं, उनके संरक्षण से पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित होता है।



राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- स्थापना: NTCA एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी।
- इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 L (1) के तहत गठित किया गया।



राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

संरचना

- अध्यक्ष: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।
- उपाध्यक्ष: पर्यावरण और वन राज्य मंत्री।
- संसद के तीन सदस्य, पर्यावरण मंत्रालय के सचिव और अन्य सदस्य।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।



राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

मुख्य कार्य


- बाघों के शिकार पर रोक लगाने और उनकी जनसंख्या को संरक्षित करने के उपाय लागू करना।
- टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन करना और संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।



राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

मुख्य कार्य

- प्रोजेक्ट टाइगर को कानूनी और प्रशासनिक समर्थन देना।
- देश भर में बाघों, सह-शिकारियों, शिकार और उनके आवास की स्थिति का आकलन करना।
- टाइगर टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित परिष्कृत पद्धति का उपयोग करना।





राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM)

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भारत के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) की स्थापना की।
- इस मिशन को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) द्वारा लागू किया जा रहा है।





राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM)

चर्चा में क्यों?

- इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर का दस्तावेजीकरण करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता को बढ़ावा देना है।

NMCM का दृष्टिकोण



इस मिशन का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर और रचनात्मक क्षमता का दस्तावेजीकरण करना है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित किया जा सके और गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।



NMCM के कार्य

राष्ट्रीय निर्देशिका: कलाकारों और सांस्कृतिक उद्योगों के मानव खजानों की राष्ट्रीय निर्देशिका बनाना।

राष्ट्रीय डिजिटल सूची/रजिस्टर: कला अभिव्यक्ति और कलाकार समुदायों का डिजिटलीकरण।

नीतियाँ और कल्याण योजनाएँ: कला प्रथाओं के संरक्षण के लिए नीतियाँ बनाना और कलाकारों के लिए कल्याण योजनाओं का विकास करना।



NMCM का मिशन

- भारतीय कला और सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण धागों को संरक्षित और प्रचारित करना।
- सांस्कृतिक मानचित्रण के माध्यम से एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना।
- कला समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक प्रणाली बनाना।
- देश में सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक धरोहर को भविष्य पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना।



मुख्य उद्देश्य

कला परंपराओं और सांस्कृतिक प्रथाओं का मानचित्रण करना, साथ ही उन कला रूपों के संरक्षण में लगे कलाकारों और कारीगरों का दस्तावेजीकरण करना।

भारत के विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर की ताकत के बारे में जागरूकता पैदा करना और संस्कृति और पहचान के बीच एक इंटरफेस विकसित करना।

कला के ज्ञान के प्रसार और कलाकारों के लिए सरकार की कल्याण योजनाओं के लिए एक मंच प्रदान करना।



मेरे गांव मेरी धरोहर (MGMD) पोर्टल

- आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत, NMCM ने जून 2023 में MGMD पोर्टल लॉन्च किया।
- इस पहल का उद्देश्य भारत के 6.5 लाख गांवों की सांस्कृतिक धरोहर का दस्तावेजीकरण करना है।
- वर्तमान में, 4.5 लाख गांवों की सांस्कृतिक जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध है।



मेरे गांव मेरी धरोहर (MGMD) पोर्टल

- इस मानचित्रण में कई सांस्कृतिक डोमेन शामिल हैं, जैसे गांव की कहानियाँ, पारंपरिक ज्ञान, रीति-रिवाज, आभूषण, भोजन, मेलों और त्योहारों, स्थानों का ऐतिहासिक महत्व और कला रूप (लोक गीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प आदि)।
- इस परियोजना के तहत 750 गांवों के 360 डिग्री वीडियो शूट किए गए हैं।



मेरे गांव मेरी धरोहर (MGMD) पोर्टल

MGMD पोर्टल का उद्देश्य

- यह पोर्टल विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का दस्तावेजीकरण करता है, जैसे मौखिक परंपराएँ, विश्वास, रीति-रिवाज, ऐतिहासिक महत्व, कला रूप, पारंपरिक भोजन, प्रमुख कलाकार, मेलों और त्योहारों, पारंपरिक परिधान, आभूषण और स्थानीय स्थल।
- NMCM का यह कदम भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।



मेरे गांव मेरी धरोहर (MGMD) पोर्टल

MGMD पोर्टल का उद्देश्य

- राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्य स्थल (NCWP) के रूप में एक वेब पोर्टल भी विकसित किया गया है, जो सांस्कृतिक सेवा प्रदाताओं के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।





नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति

महत्वपूर्ण बिंदु:

- नेटुम्बो नंदी-नडाइटवाह नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं।
- 72 वर्षीय नंदी-नडाइटवाह ने 57% वोटों के साथ जीत हासिल की, जो चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को घोषित की गई।
- उन्होंने कहा, "नामीबियाई जनता ने शांति और स्थिरता के लिए मतदान किया है।"





नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति

महत्वपूर्ण बिंदु:

- उनकी जीत ने नामीबिया की सत्तारूढ़ साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (SWAPO) पार्टी के 34 साल से सत्ता पर बने रहने को मजबूत किया।
- SWAPO पार्टी ने 1990 में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद शासन से स्वतंत्रता के बाद से देश पर शासन किया है।



नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति

विपक्षी पार्टियों ने चुनाव परिणामों को खारिज किया:

- चुनाव में तकनीकी समस्याओं जैसे मतपत्रों की कमी और अन्य मुद्दों के कारण विवाद हुआ।
- मतदान को शनिवार तक बढ़ाना पड़ा, जिससे पहली दिन लंबी कतारों में 12 घंटे तक इंतजार करने वाले कई मतदाता वोट नहीं डाल सके।
- विपक्षी दलों का कहना है कि यह विस्तार अवैध था और उन्होंने कोर्ट में परिणामों को चुनौती देने की घोषणा की है।

नामीबिया

- नामीबिया दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में अंगोला और जाम्बिया, पूर्व में बोत्सवाना, दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगती है। राजधानी विंडहोक है।
- नामीबिया को 21 मार्च 1990 को दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्रता मिली।
- सत्तारूढ़ पार्टी साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (SWAPO) है।



नामीबिया

- देश में नामिब रेगिस्तान है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है।
- अधिकांश क्षेत्र शुष्क और अर्ध-शुष्क है।
- एटोशा नेशनल पार्क और स्केलेटन कोस्ट प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।
- नामीबिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनिजों (हीरे, यूरेनियम, सोना), पशुपालन और मछली पालन पर आधारित है।
- पर्यटन उद्योग भी प्रमुख है, खासकर सफारी और प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए।





शॉक डायमंड

- रॉकेट या जेट के उड़ान भरने पर उसके एक्सहॉस्ट में प्रकाश और अंधेरे के पैच देखे जा सकते हैं।
- इन चमकदार पैचों को शॉक डायमंड्स या मैक डायमंड्स कहा जाता है।
- ये तब बनते हैं जब इंजन का एक्सहॉस्ट सुपरसोनिक गति से वायुमंडल में निकलता है।





शॉक डायमंड

प्रक्रिया:

- शुरुआत में, इंजन से निकलने वाला एक्सहॉस्ट वातावरण के दबाव से कम दबाव पर हो सकता है।
- वायुमंडल इसे तब तक संकुचित करता है जब तक दोनों दबाव बराबर न हो जाएं।
- कभी-कभी एक्सहॉस्ट अधिक संकुचित हो जाता है और फिर फैलता है।



शॉक डायमंड

प्रक्रिया:

- यह प्रक्रिया बार-बार होती है जब तक एक्सहॉस्ट का दबाव वायुमंडलीय दबाव के करीब न आ जाए।
- यह प्रक्रिया एक्सहॉस्ट प्लम में तरंगें उत्पन्न करती है, जिससे शॉक डायमंड्स बनते हैं।



शॉक डायमंड

प्रक्रिया:

जब वायुमंडल प्लम पर दबाव डालता है:

- एक्सहॉस्ट बाहर की ओर बढ़ने की बजाय अंदर की ओर मुड़ता है।
- इसके दबाव के बढ़ने पर एक्सहॉस्ट फिर बाहर की ओर फैलता है।
- यह अंदर और बाहर की प्रक्रिया शॉक वेक्स उत्पन्न करती है।



शॉक डायमंड

प्रक्रिया:

जब एक्सहॉस्ट अंदर की ओर मुड़ता है:

- उस क्षेत्र का दबाव और तापमान बढ़ता है।
- अगर उस क्षेत्र में ईंधन मौजूद हो, तो वह जलता है, जिससे वहां एक चमकीला बिंदु बनता है।
- यही चमकीला बिंदु शॉक डायमंड कहलाता है।
- एक्सहॉस्ट का यह अंदर-बाहर झुकाव और तरंगें मिलकर पूरे प्लम में शॉक डायमंड पैटर्न बनाते हैं।

जेट विमान की गति

जेट विमान की गति को आमतौर पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:

1. सबसोनिक (Subsonic):

- गति ध्वनि की गति (Mach 1) से कम होती है।
- लगभग 0 से 1,235 किमी/घंटा तक।
- वाणिज्यिक हवाई जहाज (जैसे Boeing 747) आमतौर पर इस श्रेणी में आते हैं।

जेट विमान की गति

2. सोनिक (Sonic):

- गति ध्वनि की गति (Mach 1) के बराबर होती है।
- लगभग 1,235 किमी/घंटा।
- इस गति पर विमान से ध्वनि का एक तेज धमाका (सोनिक बूम) उत्पन्न होता है।



जेट विमान की गति

3. सुपरसोनिक (Supersonic):

- गति ध्वनि की गति से अधिक लेकिन Mach 5 से कम होती है।
- लगभग 1,235 किमी/घंटा से 6,174 किमी/घंटा।
- Concorde और कई लड़ाकू विमान (जैसे F-16) इस श्रेणी में आते हैं।



जेट विमान की गति

4. हाइपरसोनिक (Hypersonic):

- गति Mach 5 से अधिक होती है।
- लगभग 6,174 किमी/घंटा से ऊपर।
- मिसाइलें और भविष्य के जेट इस श्रेणी में शामिल होते हैं।





शॉक डायमंड

महत्वपूर्ण बिंदु:

- **मैक संख्या (Mach Number):** यह वायुयान की गति और ध्वनि की गति के अनुपात को दर्शाता है। Mach 1 = ध्वनि की गति, Mach 2 = ध्वनि की गति का दोगुना।
- **सोनिक बूम:** जब विमान सुपरसोनिक गति से यात्रा करता है, तो यह ध्वनि तरंगों का उच्च दबाव उत्पन्न करता है, जिसे तेज आवाज के रूप में सुना जाता है।



उबर शिकारा

- श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील पर सोमवार को पहला उबर शिकारा सेवा शुरू हुआ।
- यह सेवा पर्यटकों और हनीमून मनाने वालों के लिए ऑनलाइन पहले से बुकिंग की सुविधा प्रदान करती है।
- शिकारा एक छोटी नाव है, जो रंगीन सजावट और आरामदायक बैठने की व्यवस्था के लिए जानी जाती है।





उबर शिकारा

डल झील

- डल झील जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एक छोटी, मध्यम-ऊंचाई वाली झील है, जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है।
- इसे "कश्मीर के मुकुट का गहना" या "श्रीनगर का गहना" कहा जाता है।
- यह जम्मू और कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग किलोमीटर है और यह 21.1 वर्ग किलोमीटर के प्राकृतिक वेटलैंड का हिस्सा है।



उबर शिकारा

डल झील

- वेटलैंड को चार बेसिनों में बांटा गया है: गगरिबल, लोकुट डल, बोड डल, और नागिन (हालांकि नागिन को एक स्वतंत्र झील भी माना जाता है)।
- झील का तट लगभग 15.5 किलोमीटर लंबा है, जहां मुगल युग के उद्यान, पार्क, हाउसबोट और होटल स्थित हैं।
- तैरते बगीचे: "राड" के नाम से प्रसिद्ध तैरते बगीचे जुलाई और अगस्त के दौरान कमल के फूलों से भर जाते हैं।



उबर शिकारा

डल झील

- डल झील अपने तैरते बाजार के लिए भी लोकप्रिय है, जहां विक्रेता शिकारा (लकड़ी की नाव) के जरिए पर्यटकों तक पहुंचते हैं।
- झील की गहराई 6 मीटर से 2.5 मीटर के बीच होती है।
- सर्दियों में स्थिति: सर्दियों के मौसम में तापमान कभी-कभी -11°C तक गिर जाता है, जिससे झील जम जाती है।



उबर शिकारा

द्वीप:

- झील में तीन द्वीप हैं, जिनमें से दो पर चिनार के पेड़ हैं।
- लोकुट डल पर स्थित द्वीप को "रोफ लंक" (सिल्वर आइलैंड) कहा जाता है, जहां चार कोनों पर चिनार के पेड़ हैं, इसे "चार-चिनारी" भी कहा जाता है।
- बोड डल पर स्थित दूसरा द्वीप "सोने लंक" (गोल्ड आइलैंड) है, जो हजरतबल की पवित्र दरगाह को निहारता है।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

चर्चा में क्यों?

- भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के आरोपों ने विरोध प्रदर्शन और भारत में एक बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास पर हमले को जन्म दिया है।
- दोनों देशों के संबंध अगस्त से खराब हो गए हैं, जब "मानसून क्रांति" नामक लोकप्रिय विद्रोह ने बांग्लादेश की सत्तावादी प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया।





बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

महत्वपूर्ण बिंदु:

- बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों की बेअदबी और हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास की राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी न केवल बांग्लादेश के संवैधानिक वादों का उल्लंघन है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का भी उल्लंघन है।
- मानवाधिकार किसी देश का आंतरिक मामला नहीं होते, और इसलिए भारत का अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताना पूरी तरह से न्यायसंगत है।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

महत्वपूर्ण बिंदु:

- बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया निराशाजनक है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों की सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाती है।
- बांग्लादेश में लगभग 2 करोड़ हिंदू, ईसाई, बौद्ध और अहमदिया अल्पसंख्यक हैं। इन्हें अंतरिम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, जिसने इस्लामिक बहुसंख्यक भीड़ के खिलाफ ठोस कदम उठाने का संकेत नहीं दिया है।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

महत्वपूर्ण बिंदु:

- अंतरिम सरकार को बांग्लादेश के संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता की समीक्षा करनी चाहिए।
- बांग्लादेश का निर्माण धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष और उदार 'बंगाली' राष्ट्रवाद के आधार पर हुआ था।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

महत्वपूर्ण बिंदु:

- बांग्लादेश का संविधान 4 नवंबर 1972 को अपनाया गया था, जिसमें राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को मौलिक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया।
- हालांकि बांग्लादेश का मूल संविधान धर्मनिरपेक्ष था, लेकिन 1977 में ज़िया-उर-रहमान ने 'धर्मनिरपेक्षता' को हटा दिया और 1988 में जनरल एर्शाद ने संविधान में अनुच्छेद 2A जोड़कर इस्लाम को राज्य धर्म घोषित कर दिया।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

महत्वपूर्ण बिंदु:

- 2005 और 2010 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन संशोधनों को असंवैधानिक घोषित किया।
- 2011 में 15वें संशोधन के जरिए 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द फिर से जोड़ा गया।
- अनुच्छेद 2A के तहत इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया गया, लेकिन अन्य धर्मों को भी समान दर्जा और अधिकार दिए गए। यह क्लासिकल धर्मनिरपेक्षता के साथ विरोधाभासी है।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

महत्वपूर्ण बिंदु:

- संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत साम्प्रदायिकता के उन्मूलन और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता को सुनिश्चित करने का वादा किया गया है।
- अनुच्छेद 23A के अनुसार राज्य पर अल्पसंख्यक जातियों, जनजातियों और समुदायों की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने का दायित्व है।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

महत्वपूर्ण बिंदु:

- बांग्लादेश के संविधान में राष्ट्रपति या अन्य संवैधानिक पदों के लिए किसी धर्म की अनिवार्यता नहीं है, जो इसे पाकिस्तान से अलग बनाता है।
- अनुच्छेद 39 के तहत स्वतंत्र चिंतन और अनुच्छेद 41 के तहत हर नागरिक को किसी भी धर्म का पालन, प्रचार और अभ्यास करने का अधिकार दिया गया है।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

महत्वपूर्ण बिंदु:

- अनुच्छेद 28 (1) के तहत धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
- अंतरिम सरकार को संविधान में किए गए पवित्र वादों का पालन करना चाहिए ताकि जनता का उस पर भरोसा बना रहे।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति:

- मानवाधिकार उल्लंघन की वार्षिक रिपोर्ट: बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद (BHBCUC) ने एक वर्ष में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ 1,000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों को दर्ज किया, जिसमें 45 लोगों की मौत हुई।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति:

- भूमि पर कब्जा हिंसा का मुख्य कारण: BHBCUC के अनुसार, 70-75% हिंसा भूमि कब्जाने से संबंधित है, जिसमें राजनीतिक दलों और सरकारी एजेंसियों की मिलीभगत शामिल है।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति:

- **अल्पसंख्यकों की घटती जनसंख्या:** 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अल्पसंख्यक जनसंख्या लगभग 19% थी, जो अब घटकर 8.6% रह गई है।
- **2023 की जनगणना के आंकड़े:** बांग्लादेश की कुल 170 मिलियन आबादी में 90% मुसलमान हैं। हिंदू 8% के साथ सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह बने हुए हैं, जबकि ईसाई 1% से भी कम हैं।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति:

- **अल्पसंख्यक समुदायों का ऐतिहासिक महत्व:** बांग्लादेश में प्राचीन काल से हिंदू और बौद्ध समुदाय मौजूद हैं, और हाल के दशकों में एक उभरता हुआ ईसाई समुदाय भी विकसित हुआ है।
- **BHBCOP का गठन:** इन अल्पसंख्यकों को 1991 में खालिदा जिया के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एक्य परिषद (BHBCOP) के तहत संगठित किया गया।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति:

- वृद्धि होती भेदभाव और हिंसा: विशेषज्ञों ने वर्षों से धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते भेदभाव और अत्याचारों को उजागर किया है।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

बांग्लादेश संकट और भारत पर इसके प्रभाव:

- **अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का संकट:** बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन भारत के लिए चिंता का विषय है, खासकर सीमावर्ती इलाकों में शरणार्थियों की संभावना के कारण।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

बांग्लादेश संकट और भारत पर इसके प्रभाव:

- **आंतरिक अस्थिरता का प्रभाव:** बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथी समूहों का बढ़ता प्रभाव भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है।
- **सीमा पर बढ़ते तनाव:** बांग्लादेश में संकट के कारण अवैध प्रवास और सीमा पर तस्करी जैसी गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है, जिससे भारत के सीमावर्ती राज्यों पर दबाव बढ़ सकता है।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

बांग्लादेश संकट और भारत पर इसके प्रभाव:

- **भारत-बांग्लादेश संबंधों पर प्रभाव:** भारत द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग को बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में खटास आ सकती है।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

बांग्लादेश संकट और भारत पर इसके प्रभाव:

- **रोहिंग्या शरणार्थी संकट:** बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या का बढ़ता प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि रोहिंग्या समुदाय के सदस्य अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

बांग्लादेश संकट और भारत पर इसके प्रभाव:

- **आर्थिक सहयोग पर असर:** बांग्लादेश में अस्थिरता भारत-बांग्लादेश व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बाधित कर सकती है, जिससे भारत की "नेबरहुड फर्स्ट" नीति प्रभावित हो सकती है।
- **पड़ोसी देशों में कट्टरवाद का बढ़ावा:** बांग्लादेश में बढ़ता इस्लामिक कट्टरवाद भारत के लिए भी एक सुरक्षा खतरा बन सकता है, खासकर असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

बांग्लादेश संकट और भारत पर इसके प्रभाव:

- **मुक्ति संग्राम का आदर्श:** बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी नींव पर संकट भारत को अपने पड़ोस में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के आदर्श बनाए रखने की चुनौती पेश करता है।
- **रणनीतिक प्रतिस्पर्धा:** चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का बांग्लादेश में प्रभाव बढ़ने से भारत की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है।



बांग्लादेश एवं धार्मिक स्वतंत्रता

बांग्लादेश संकट और भारत पर इसके प्रभाव:

- **मानवीय और कूटनीतिक दबाव:** भारत पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश में मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए दबाव बढ़ सकता है।